उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

लेखराज मार्केट–2, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016 (उ0प्र0)

टेलीफोन:91–522–2344000/1, टॉल फ्री नं0–18001805412 फैक्स: 91–522–2344002,

ई–मेल: **upbocboardlko@gmail.com**

अधिसूचना

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 36वीं बैठक दिनाँक 08–11–2016 में "**खाद्यान्न सहायता योजना**" के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 56/2016/1608/36–2–2016–12 (बी0ओ0सी0 डब्लू0)/16 दिनाँक 08–11–2016 द्वारा निम्न संशोधनों के साथ उक्त योजना को अनापत्ति प्रदान की गयी है–

1. योजना के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा।
2. योजना के सम्बन्ध में शासन का कोई दायित्व नहीं होगा तथा न ही इस सन्दर्भ में कोई वित्तीय सहायता वर्तमान एवं भविष्य में दी जायेगी।

अतएव एतद्द्वारा "**खाद्यान्न सहायता योजना**" अधिसूचित की जाती है।

संलग्नक: खाद्यान्न सहायता योजना का प्रारूप

–ह0–

(बी0जे0 सिंह)

सचिव, बोर्ड।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।

पत्रॉक: 4813-23 /भ0नि0बो0(1317–टी0सी0)–2016 दिनॉक: 11–11–2016

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, श्रम/अध्यक्ष, बोर्ड।
2. समस्त सदस्य, बोर्ड।
3. श्रम आयुक्त, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. वित्त नियन्त्रक, बोर्ड।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या 56/2016/1608/36–2–2016–12 (बी0ओ0सी0डब्लू0) /16 दिनॉक 08–11–2016 के क्रम में सूचनार्थ।
8. अपर श्रम आयुक्त, उ0प्र0, मुख्यालय (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/ जनपदीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालयों को उक्त अधिसूचना ई–मेल से प्रेषित करते हुये विभागीय बेवसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त उ0प्र0 तथा अपर/उप/सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (पदेन) उ0प्र0 एवं जनपदीय श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को सम्यक प्रचार–प्रसार एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
10. श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना एवं योजना को बोर्ड की बेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. गार्ड फाइल पर।

11/11/16

(पंकज सिंह राना)

सहायक सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ " खाद्यान्न सहायता योजना "

1– **योजना का नाम** – खाद्यान्न सहायता योजना

2– **योजना का उद्देश्य** –

इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार प्रक्रियाओं में कार्यरत श्रमिकों/कर्मकारों को गुणवत्तापरक खाद्यान्न सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन कम मूल्य पर उपलब्ध हो सके।

3– **पात्रता** –

इस योजना के अन्तर्गत वे सभी कर्मकार पात्र होगें जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा–12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को देय होगा जो आधार कार्ड धारक हैं एवं जिस जनपद में वे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उस जनपद में वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अथवा इस प्रकार के केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी अन्य योजना/सहायता (दैवीय आपदाओं के दौरान दी गयी सहायता को छोड़कर) के अन्तर्गत लाभ न प्राप्त कर रहे हों। इस आशय का घोषणापत्र पंजीकृत श्रमिक द्वारा देना होगा।

4– **हितलाभ** –

1– लाभार्थी श्रमिक को इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाला खाद्यान्न अधिकतम एक माह व न्यूनतम 15 दिन का एक बार में एकमुश्त लाभार्थी की इच्छा/आवश्यकतानुसार देय होगा।

2– योजना के अन्तर्गत यह लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही देय होगा, किन्तु यदि किसी परिवार में एक से अधिक पंजीकृत श्रमिक हैं तो यह लाभ सभी पंजीकृत श्रमिकों को देय होगा।

3– एक पंजीकृत श्रमिक निम्न प्रकार से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगा :–

क0सं0	विवरण	मात्रा
1.	चावल	5kg. (15 दिनों में)
2.	दाल	1½kg.(15 दिनों में)
3.	चीनी	1kg. (15 दिनों में)

(पंकज सिंह राना)
सहायक सचिव, बोर्ड

4— योजना के अन्तर्गत खुलने वाली दुकानों/स्टालों का समय प्रत्येक रविवार, बुधवार, शुकवार मध्यान्ह 01:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक होगा। मोबाइल वैन की स्थिति मे महत्वपूर्ण निर्माण स्थलों के लिए दिन एवं समय का निर्धारण स्थानीय कार्यालय से किया जायेगा।

<u>कठिनाईयों का निराकरण—</u>

योजनाओं के कियान्वयन मे आने वाली कठिनाईयों के निवारण सचिव, बोर्ड द्वारा अध्यक्ष बोर्ड की अनुमति से किया जाएगा।

———————0————————————0————————————0——————————0————————————

(पंकज सिंह राना)
सहायक सचिव, बोर्ड

उपरोक्त मात्रा के आधार पर अधिकतम एक माह व न्यूनतम 15 दिवसों का खाद्यान्न पंजीकृत श्रमिक प्राप्त कर सकता है। खाद्यान्न की आपूर्ति बन्द पैकेट में होगी तथा इसकी गुणवत्ता FSSAI के मानको के अनुसार होनी चाहिए।

5– वितरण की प्रकिया

1– यह योजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ में जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, बरेली मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद, गोरखपुर जनपदों में प्रारम्भ की जायेगी, परन्तु यदि इन जनपदों में पंजीकृत श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित मध्यान्ह् भोजन योजना का लाभ ले रहे हैं तो इस योजना की पात्रता में नहीं रहेगें। इन जनपदों में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या का विवरण संलग्न है।

2– योजना के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा उपरोक्त जनपदों में खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु सस्ते दर की दुकानें स्थापित की जायेगीं। दुकानों की संख्या एवं स्थान का निर्धारण स्थानीय श्रम विभाग के कार्यालय द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि पात्र एक हजार श्रमिकों पर एक दुकान स्थापित की जाएगी। दुकानों का संचालन आवश्यकतानुसार मोबाइल वैन के माध्यम से भी किया जा सकेगा।

3– खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता का चयन टेण्डर प्रकिया से किया जायेगा।

4– दुकान संचालकों को दुकान के लिए स्थान, सामान रखने के लिए गोदाम तथा परिवहन व्यवस्था में आने वाले व्ययों का वहन स्वयं करना होगा। दुकान का स्थान का निर्धारण स्थानीय स्तर पर सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त द्वारा किया जायेगा।

5– लाभार्थी द्वारा अदा की जाने वाली धनराशि एवं विक्रय की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य के अर्न्तधन का भुगतान/वहन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

6– पंजीकृत श्रमिकों को तत्समय ही खाद्यान्न/सामग्री का भुगतान करना होगा। खाद्य सामग्री के मूल्य का 10% पंजीकृत श्रमिक द्वारा वहन किया जाएगा तथा अतिरिक्त रकम का भुगतान बोर्ड द्वारा अनुदान के रूप में किया जाएगा।

आवेदन प्रकिया।

1– पंजीकृत श्रमिक को खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत स्टालों/दुकानों पर अपने पंजीयन कार्ड एवं आधार कार्ड के साथ जाकर वहां बायोमैट्रिक मशीन पर अपनी पहचान आधार कार्ड के माध्यम से स्थापित करनी होगी।

2– पंजीकृत श्रमिक को उसकी पहचान स्थापित होने के बाद उसकी आवश्यकतानुसार उसके द्वारा सामान क्रय किया जा सकेगा।

3– क्रय किये जाने वाले सामान के भुगतान ,स्टाक मेन्टेनेन्स व श्रमिक द्वारा ली गई सामग्री के वितरण का रख–रखाव, कम्प्यूटर एवं इस हेतु बनाये गये विशेष साफ्टवेयर द्वारा किया जायेगा।

(प्रकाश सिंह राना)
सहायक सचिव, बोर्ड